



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 19/2020

दायर दिनांक 06.01.2020

वादीगण		प्रतिवादी
1. मो. बाबुदीन पुत्र मईनुदीन 2. मो. सलीम पुत्र मईनुदीन 3. खातुन बानो पुत्री मईनुदीन 4. छोटी खातून पत्नि मईनुदीन समस्त जाति सीलावट निवासी- सीलावाटो की गली डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत
रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:-

1. श्री हरदीन राम जाखड़ वकील वादी।

दिनांक 12.03.2021

--:: निर्णय ::--

यह है कि मौजा दादूबासनी पटवार हल्का दादूबासनी की शरहद के खेत खसरा सं0 298 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वादीगण के पिता स्व. मईनुदीन पुत्र इमामूदीन का पैत्रिक कब्जा काशत व खातेदारी का खेत है। वादीगण के पिता व पति मईनुदीन पुत्र इमामूदीन दिनांक 05.08.2019 को फौत हो चुके हैं।

यह है कि वादीगण के पिता व पति का सही व वास्तविक नाम मईनुदीन पुत्र इमामूदीन है। वादीगण के अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड पहचान-पत्र आधार कार्ड भामाशाह कार्ड आदि में पिता का नाम मईनुदीन पुत्र इमामूदीन दर्ज है जबकि वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रेकॉर्ड में गलती से मांगीलाल पुत्र इमाम दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है।

यह है कि मुतनाजा खसरान वादीगण के पिता व पति स्व. मईनुदीन पुत्र इमामूदीन के पैत्रिक खेत है। वादीगण के पिता व पति स्व. मईनुदीन पुत्र इमामूदीन का स्वर्गवास हो गया है। वादीगण अपने पिता व पति के स्थान पर जरिये फौतगी म्युटेशन (नामान्तरकरण) दर्ज करने से मना कर रहे हैं जिससे वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं, इसलिए वादीगण को मुतनाजा जमीन की खातेदारी अपने पिता व दादा के सही व वास्तविक नाम मईनुदीन पुत्र इमामूदीन के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कराना जरूरी को गया है।

यह है कि प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है:-

यह है कि मौजा दादूबासनी पटवार हल्का दादूबासनी की शरहद के खेत खसरा सं0 298 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी में वादीगण के पिता व पति मांगीलाल पुत्र इमाम के स्थान पर मईनुदीन पुत्र इमामूदीन जाति सीलावट निवासी डीडवाना दुरुस्त किया जाकर उपरोक्त खेत की



RS
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 19/2020
 दायर दिनांक 06.01.2020 निर्णय दिनांक 12.03.2021
 मो. बाबुदीन वगै. बनाम तहसीलदार डीडवाना।

खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्तती फरमाया जावें। प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के पिता/पति मईनुदीन पुत्र इमामूदीन दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री कर वाके सरहद दादूबासनी के खेत खसरा सं० 298 रकबा 11.18 बीघा में वादीगण के पिता/पति का नाम मांगीलाल पुत्र इमाम कोम सिलावट के स्थान पर सही नाम मईनुदीन पुत्र इमामूदीन दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (हनुमानराम चौधरी)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (नामौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को सरे ईजलास में

सुनाया गया।


 (हनुमानराम चौधरी)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (नामौर)
 डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 19/2020

दायर दिनाँक 06.01.2021

वादीगण		प्रतिवादी
1. मो. बाबुदीन पुत्र मईनुदीन 2. मो. सलीम पुत्र मईनुदीन 3. खातून बानो पुत्री मईनुदीन 4. छोटी खातून पत्नि मईनुदीन समस्त जाति सीलावट निवासी-सीलावटो की गली, डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 12.03.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरदीन राम जाखड़ वकील वादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद दादूबासनी के खेत खसरा सं0 298 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा में खातेदारी में वादीगण के पिता/पति का नाम मांगीलाल पुत्र इमाम कोम सिलावट के स्थान पर सही नाम मईनुदीन पुत्र इमामूदीन दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)